रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286] दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 23, 2019/कार्तिक 1, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 258

No. 286] DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 23, 2019/KARTIKA 1, 1941 [N.C.T.D. No. 258

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2019

फा. सं. 16(572)/श.वि./जल/2016/1874.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (एम) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी के दिनांक 4 सितम्बर, 2015 के आदेशों द्वारा अनुमोदित तथा दिनांक 8 दिसम्बर 2015 के पत्र सं. फा. 3/24(21)/2015–आर आर के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग की सहमति से दिल्ली जल बोर्ड में फिल्टर सुपरवाईजर ग्रेड–1 के पद की भर्ती पद्धति संबंधी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड में फिल्टर सुपरवाईजर ग्रेड–1 के विनियम, 2019 कहा जाए।

   (2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाषन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा तथा अन्य योग्यताएं.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता.**—कोई भी व्यक्ति

   (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

   (ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

शर्त यह है कि सरकार ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति**.—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव**.—इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनूसूची

1.	**पदनाम**	:	फिल्टर सुपरवाईजर ग्रेड–1
2.	**पदों की संख्या**	:	07 (2019)* *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	**वर्गीकरण**	:	श्रेणी ''ख'
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	स्तर–6 (35,400–1,12,400/– रुपये
5.	**क्या चयन पद है या गैर चयन पद**	:	चयन
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	लागू नहीं ।
8.	**क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।**	:	नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	दो वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	पदोन्नति द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलयन किया जाना है**	:	**<u>पदोन्नतिः–</u>** ग्रेड में छः वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200–92,300/– रुपये) में तथा दिल्ली जल बोर्ड प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित क्षेत्र में एक सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करने वाले फिल्टर सुपरवाईजर । **टीप 1** : जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से अधिक या दो वर्ष, इसमें जो भी कम हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। **टीप 2**: पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी।

12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**''ख'' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति** 1. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक) –अध्यक्ष 2. निदेशक शोधन गुणवत्ता एवं नियंत्रण –सदस्य 3. सहायक आयुक्त(जल) –सदस्य
13.	**वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अन्नपूर्णा झा, अनुभाग अधिकारी (जल)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd October, 2019

F. No. 16(572)/UD/W/2016/1874.—The following recruitment regulations made by the Delhi Water Board in exercise of the powers conferred by clause (m) of sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act, No. 4 of 1998) approved by Competent Authority orders dated the 4th September, 2015 and concurred by the Union Public Service Commission vide their letter F. No. 3/24(21)/2015-RR dated the 8th December, 2015 regarding method of recruitment to the post of Filter Supervisor Grade-I in Delhi Water Board, Delhi are hereby published, namely :-

1. **Short title and commencement.—**(I) These regulations may be called the Filter Supervisor Grade-I in Delhi Jal Board Recruitment Regulation, 2019.

   (II) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.—**The number of posts, their classification and level in the pay matrix of attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications.—**The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the service:

Provided that Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax.—**Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

NAME OF POST	NO. OF POSTS	CLASSIFICATION	LEVEL IN THE PAY MATRIX	WHETHER SELECTION OR NON- SELECTION POST	AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS
1	2	3	4	5	6
FILTER SUPERVISOR GRADE-I.	07* (2019) *SUBJECT TO VARIATION DEPENDANT ON WORK LOAD.	CATEGORY 'B'.	LEVEL 6 (Rs. 35,400 – 1,12,400).	SELECTION.	NOT APPLICABLE.

EDUCATIONAL AND OTHER QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS	WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES	PERIOD OF PROBATION, IF ANY	METHOD OF RECRUITMENT WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT, OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ ABSORPTION AND PERCENTAGE OF VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS	IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION OR DEPUTATION/ABSORPTION, GRADES FROM WHICH PROMOTION OR DEPUTATION/ ABSORPTION TO BE MADE
7	8	9	10	11
NOT APPLICABLE	NO	TWO YEARS	BY PROMOTION	**Promotion :** Filter Supervisor in Level-5 (Rs. 29200-92300/-) in the pay matrix with Six years' regular service in the grade and have undergone one week training in the related field from Delhi Jal Board Training Institute. **Note 1 :-** Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service , or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.

IF A DEPARTMANTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS, WHAT IS ITS COMPOSITION	CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION IS TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT
12	**13**
CATEGORY 'B' DEPARTMANTAL PROMOTION COMMITTEE FOR PROMOTION CONISISTING OF:- 1. DIRECTOR (ADMINISTRATION & PERSONAL) - CHAIRMAN 2. DIRECTOR TREATMENT QUALITY & CONTROL - MEMBER 3. ASSISTANT COMMISSIONER (WATER) - MEMBER	CONSULTATION WITH THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION NOT NECESSARY.

By Order and in the Name of Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

ANUPURNA JHA, Section Officer (Water)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.10.30 13:32:02 +05'30'